

तारीख हुक्म

24/04/24

पत्रावली पेश हुई तब वकील वरिष्ठ अशुभित्त
 प्रदियाई अनु। तब वकील वरिष्ठ को अति
 उदः 00 वरिष्ठ तक अकअक करती न था।
 आवाप लगवाई गई किन्तु व अनुपस्थित
 रहे ना ही अन्वय कोई प्रतिबिम्बी उप।
 अतः वरिष्ठा वरिष्ठ को साल 2024 आदि
 09 दिना 03 CPC के तहत अन्वय हाप।
 अन्वय पेशी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली के मूल अनुप ही न भये कत ह।

उपस्थित अधिकारी
 अराई (अजमेर)